न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/05	07–02–2020	18–11–2020

01–जगदीश प्रसाद पुत्र छुट्टन जाति जॉगिड निवासी ग्राम दाधेडा तहसील किशनगढ बास जिला अलवर हाल निवासी शिव कॉलोनी तुलेडा रोड, अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 13.10.2010 नामान्तकरण संख्या 1965 ग्राम अलवर नम्बर 1 अलवर।

उपस्थित :–

01. श्री भगवान सहाय शर्मा –वकील अपीलाण्ट
02. पैरोकार सरकार –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 13–10–2010 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 1965 वाके ग्राम अलवर नं0 1 में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट ने जरिये बयनामा दिनांक 16.7.1999 सूरजभान पुत्र सरूपाराम जाति माली निवासी अलवर से आराजी खसरा नम्बर 2276 में से 311.11 वर्गगज भूमि प्लॉट नंबर 4 वाके अलवर नं0 1 को अपने नाबालिंग पुत्र हरनेश कुमार जॉगिड पुत्र जगदीश प्रसाद जागिड आयु 16 साल नाबालिंग जरिये सरपरस्त पिताखुद जगदीश प्रसाद जॉगिड पुत्र छुट्टन जॉगिड के नाम से विधिवत बयनामा में दर्ज पूर्ण प्रतिफल अदा करके क्रय किया और मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया था। बयनामा का इंतकाल 1965 दर्ज किया। विवादित इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने भूलवश मानवीय त्रूटिवश खरीदार का नाम "हरनेश कुमार जॉगिड" के स्थान पर "हरवेश कुमार जॉगिड" दर्ज कर दिया। हरनेश कुमार जॉगिड पूना महाराष्ट्र में पढ रहा था वहॉ एक दुर्घटना में हरनेश का

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

स्वर्गवास दिनांक 27.4.2008 को हो गया था। अपीलान्ट के पुत्र हरनेश कुमार जॉगिड के दस्तावेजात उसका पिछडा वर्ग जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, इण्डियन इन्स्टीट्यूट का एडमिशन की रसीद, आई.आई.टी. इन्स्टीट्यूट एमआईए, अलवर का प्रमाण पत्र सैकण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र एवं पुणे महानगर पालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी हरनेश कुमार जॉगिड दर्ज है। अपीलान्ट अपने पुत्र की विरासत के बारे पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी ने कहा कि अभिलेख में आपके पुत्र का नाम "हरवेश कुमार जॉगिड" दर्ज हो रहा है। तहत अदालत को "हरनेश कुमार जॉगिड" करते हुए दर्ज करना चाहिये था किन्तु सहवन् से नाम गलत "हरवेश कुमार जॉगिड" दर्ज कर दिया। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ तथ्य कानून मौका राजस्व रिकार्ड प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30–01–2020 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो जानकारी हुई और दिनांक 29–01–2020 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि और दिनांक 30–01–2020 को प्रमाणित प्रति के माध्यम से हुई जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करना चाहिऐं। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश दिनांक 13–10–2010 के विरूद्व दिनांक 07–02–2020 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि बयनामा का इंतकाल 1965 दर्ज किया, विवादित इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने भूलवश मानवीय त्रूटिवश खरीदार का नाम "हरनेश कुमार जॉगिड" के स्थान पर "हरवेश कुमार जॉगिड" दर्ज कर दिया। जबकि मुताविक बयनामा सही नाम "हरनेश कुमार" है, तथा तहत अदालत ने इंतकाल स्वीकार करते समय अपीलान्ट के पुत्र

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

के नाम की सही जांच नहीं की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझतें है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 13–10–2010 बाबत नामान्तरण संख्या–1965 ग्राम अलवर नं0 1 जिला अलवर "हरवेश कुमार" के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह बयनामा की जांच कर बयनामा में वर्णित "हरनेश कुमार जॉगिड" की शुद्धीकरण कर निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर, अलवर